सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

जौनपुर

सेवा में,

प्रबन्धक

लार्ड बुद्धा नेशनल पब्लिक स्कूल

सरायबीका मछलीशहर जौनपुर

पत्रांक मान्यता/ 1630-33 /2017–18 दिनांक 30.5.17

विषय – निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उप नियम (4) के अधीन **अंग्रेजी माध्यम** विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय

जांच अधिकारी/सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी की आख्या/संस्तुति तथा मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) मण्डल वाराणसी के अनुमोदनोपरान्त उ0प्र0 शासन, लखनऊ शिक्षा अनुभाग–6 आदेश संख्या 419/76–6–2013–18 2091 दिनांक 08 मई 2013 के द्वारा गठित समिति के निर्णय दिनांक 20.05.2107 के अनुकम में आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चावर्ती पत्राचार/निर्णय के प्रति निर्देश से **लार्ड बुद्धा नेशनल पब्लिक स्कूल सरायबीका मछलीशहर जौनपुर** को 30.05.2017 से 29.05.2020 तक 03 वर्ष की अवधि के लिए **नर्सरी से कक्षा 08** तक के लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किये जाने के अध्यधीन है –

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नही है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 08 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नही है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार, अधिनियम 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2010 (उपाबंध 2) के उपाबंधो का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 01 में (या यथा स्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालको की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस पड़ोस के कमजोर वर्गो और सुविधा विहीन बालको को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा ।
4. पैरा–3 में निर्दिष्ट बालको के लिए विद्यालय की अधिनियम की धारा 12 की उपधारा(2) उपबंधो के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तिया प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेंगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रकिया के अध्यधीन नहीं करेंगा ।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और अधिनियम की धारा 15 के उपबंधो को पालन करेगा, विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा ।
   i) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी कक्षा में फेल नही किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नही किया जायेगा।
   ii) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नही किया जायेगा।
   iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नही की जायेगी।
   iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
   v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओ वाले विद्यार्थियो को प्रवेश दिया जाना।
   vi) अध्यापको की भर्ती की अधिनियम की धारा 23 (1) अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओ के साथ की जाती है। परन्तु यह और की विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताये नही है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताये अर्जित करेगें।
   vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यो का पालन करता है और
   viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन–किया कलापो में नियोजित नही करेंगे।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यकम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविर्निदिष्ट विद्यालय के मानको और सुनियमों को बनाये रखेगा अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधाये निम्नानुसार है–

   विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल।

PRINCIPAL
Lord Buddha National Public School
Sarai Bika, Jaunpur

Principal
Jawahar Navodaya Vidyalaya
Tewa, Kaushambi
Uttar Pradesh-212207

Manager
Lord Buddha National Public School

कुल निर्मित क्षेत्र।
क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल ।
कक्षाओ की संख्या ।
प्राध्यापक–सह कार्यालय, सह भंडारागार के लिए कक्ष।
बालकों और बालिकाओं के पृथक शौचालय।
पेयजल सुबिधा ।
मीड–डे–मील पकाने के लिए रसोई ।
बाधा रहित पहुँच ।
अध्यापन पठन सामाग्री/कीडा खेलकूद उपस्करो/पुस्तकालय की उपलब्धता ।

9. विद्यालय के परिसरो के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाये नही चलाई जायेगी।
10. विद्यालय भवनो या अन्य संरचनाओ या कीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास योजनाओ के प्रयोजनों लिए किया जाता है।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 को 21)के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी बिधि के अधीन गठित किसी लोकन्यास चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को व्यष्टि, व्यष्टियो के समूह का संगम किसी अन्य व्यक्तियो के लाभ के लिए नही चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओ की किसी चाटर्ड एकाउंटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और इसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमो के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आप के विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्याक x है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय –समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के लिए अनुदेशो का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किया जायेगा।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाय ।
17. संलग्न उपबन्ध के अनुसार अन्य कोई शर्त ।
18. मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रबन्ध तन्त्र द्वारा प्रस्तुत पत्रजात /अभिलेख किसी भी स्तर पर कूट रचित अथवा फर्जी अथवा दूषित पाये जाने पर नियमानुसार मान्यता प्रत्याहरित करण की कार्यवाही की जायेगी।
19. विद्यालय संचालन मे आने वाला व्यय विद्यालय प्रबन्ध तंत्र द्वारा अपने निजी स्रोतो से वहन किया जायेगा।

भवदीय

(शिवेन्द्र प्रताप सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जौनपुर ।

पृ0स0/मान्यता / 1032-33 /2017-18 दिनांक–उक्तवत ।
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
1. सचिव उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद ।
2. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) पंचम मण्डल वाराणसी ।
3. खण्ड शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित विकासखण्ड /नगर क्षेत्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप विद्यालय का ए निरिक्षण कर ले और पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो ले कि विद्यालय भवन नेशनल विल्डिंग कोड के मानक के अनुसार निर्मित और सक्षम प्राधिकारी द्वारा विद्यालय भवन के नेशनल विल्डिंग कोड के अनुसार निर्मित होने का प्रमाण पत्र के निर्गत ह की पुष्टि कर ले, विद्यालय में स्थापित अग्निशमन यंत्र क्रियाशील तथा शासनादेश दिनांक 8.05.2013 के द्वारा निर्धा मानको की पूर्ति करता है, अन्यथा कि स्थिति में एक सप्ताह के अंदर अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें ।
4. कार्यालय प्रति ।

(शिवेन्द्र प्रताप सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जौनपुर।

PRINCIPAL
Lord Buddha National Public School
Sarai Bika, Jaunpur

प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक
वाराणसी मण्डल वाराणसी

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
शिक्षा केन्द्र–2 समुदाय केन्द्र,
प्रीति विहार, नई दिल्ली।

पत्रांक एन0ओ0सी0 / /2017–18 दिनांक 14/6/2017

विषय :लार्ड बुद्धा नेशनल पब्लिक स्कूल सराय बीका मछलीशहर जौनपुर को सी0बी0एस0ई0 बोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपयुर्क्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी0बी0एस0ई बोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है :–

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेगें और उनसे उ0प्र0माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नही की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदो से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगें।
5. संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियो का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियो की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगें।
6. कर्मचारियो की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगें।
7. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगें संस्था उनका पालन करेगी।
8. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।

PRINCIPAL
Lord Buddha National Public School
Sarai Bika, Jaunpur

Principal
Jawahar Navodaya Vidyalaya
Tewa, Kaushambi,
Uttar Pradesh-212207

Principal
Kendriya Vidyalaya

Manager
Lord Buddha National Public School

9. उक्त शर्तो में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा, और किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

(ओंकार शुक्ल)
संयुक्त शिक्षा निदेशक
वाराणसी मण्डल वाराणसी

पृ0सं0/एन0ओ0सी0/ 2417-24. /2017–18 दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. सचिव, माध्यमिक शिक्षा उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. आयुक्त, वाराणसी मण्डल वाराणसी।
3. जिलाधिकारी जौनपुर।
4. शिक्षा निदेशक (मा0) उ0प्र0 लखनऊ।
5. जिला विद्यालय निरीक्षक जौनपुर।
6. निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उ0प्र0 लखनऊ।
7. प्रबन्धक, लार्ड बुद्धा नेशनल पब्लिक स्कूल सराय बीका मछलीशहर जौनपुर।
8. गार्ड फाइल हेतु।

(ओंकार शुक्ल)
संयुक्त शिक्षा निदेशक
वाराणसी मण्डल वाराणसी

Principal
Jawahar Navodaya Vidyalaya
Uttar Pradesh-212207

प्राचार्य
Principal
Kendriya Vidyalaya
RPF, Allahabad

PRINCIPAL
Lord Buddha National Public School
Sarai Bika, Jaunpur

Manager
Lord Buddha National Public School
Jaunpur